न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –23 / 2021

दायर दिनांक –10.06.2021

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2021 / 47

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती रमा तोषनीवाल पत्नी श्री अशोक तोषनीवाल जाति महाजन निवासी "गोकुलजी" मकान नं. 591 प्रकाश नगर फॉयसागर रोड़ अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एन. एस. राजावत, अधि0, प्रार्थीया
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता संख्या 792 के खसरा नं. 2578, 2584 / 3419, 2585 / 3420, 2594 / 3720 कुल किता 04 कुल रकबा 0.4000 हैक्टयर तथा खाता संख्या 560 का खसरा नं. 2539 रकबा 0.1300 हैक्टयर में संयुक्त खातेदार कोमल पत्नी किशन सिंह हिस्सा 1/3 जाति रावत सा. देह के स्थान पर रमा तोषनीवाल पत्नी अशोक तोषनीवाल हिस्सा 1/3 जाति महाजन का नाम दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थिया अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया । ने उल्लेख किया है कि प्रार्थिया ने श्रीमती कोयल पत्नी श्री किशन सिंह जाति रावत मूल खातेदार का 1/9 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2004 के तहत सम्पत्ति क्रय की थी, जिसका नामान्तरण संख्या 534 दिनांक 02.12.2004 के द्वारा वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 121 में प्रार्थिया के नाम नामांतरण हो गया। कृषि आराजी का विवरण निम्नानुसार है–

ग्राम का नाम	वर्किंग खाता संख्या	वर्किंग खसरा संख्या	क्षेत्रफल(बीघा)
देवनगर	121	1718 1735 1738 1749	00–16–00 00–07–00 01–02–00 04–19–00
कुल क्षेत्रफल			07–04–00

परंतु वर्तमान में भू–प्रबंध के दौरान मिसल बंदोबस्त में त्रुटि कारित करते हुए प्रार्थिया के खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की खरीद शुदा भूमि अमल से शेष रहकर पुनः विक्रेता का नाम दर्ज हो गया।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1138 दिनांक 27.07.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **"ग्राम देवनगर कि वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा नम्बर 1718 रकबा 00–16–00 बीघा, खसरा नम्बर 1735 रकबा 00–07–00 बीघा खसरा नम्बर 1738 रकबा 01–02–00 बीघा, खसरा नम्बर 1749 रकबा 04–19–00 बीघा पर खातेदार नीम्बा मुतबन्ना देवा हिस्सा 1/3, लाली पत्नि लादू, रतना, पेमा, पि. लाला 1/3 हि. जाति रावत, नारायण, गोपी, रूघा पि. बालू जाति कहार ने अपना 1/9 हिस्सा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के [illegible] कोयल पत्नि श्री किशन सिंह जाति रावत सा. बागोलाई को विक्रय किया जिसका [illegible] नामा0 सं0 487 स्वीकृत दिनांक 21.06.2004 से हो चुका है। तदूपरान्त [illegible] जाति रावत ने अपना 1/9 हिस्सा रमा देवी तोषनीवाल पत्नि अशोक तोषनीवाल जाति महाजन निवासी फॉयसागर रोड़ अजमेर को विक्रय किया जिसका अंकना नामा0 सं0 534 स्वीकृत दिनांक 02.12.2004 से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

[वर्किंग] जमाबन्दी हो चुका था। ग्राम देवनगर के मिलान क्षेत्रफल संवत् 2065–84 के [अनु]सार मिलान निम्नानुसार है–

हाल		साबिक	
2539	0.13	1718	0.13
2584/3419	0.03	1735 मि.	0.03
2585/3420	0.03	1735 मि.	0.03
2578	0.18	1738 मि.	0.18
2594/2720	0.16	1749	0.16

ग्राम देवनगर कि वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 121 व नामा0 सं0 487 व 534 तथा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2065–84 का अवलोकन करने पर पाया कि वर्किंग खसरा संख्या 1749 का रकबा वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 121 व उक्त दोनों नामान्तकरणों में 04–19–00 बीघा दर्ज है, किन्तु मिलान में उक्त खसरा नं. 1749 के नवीन खसरा नम्बर 2594/2720 का रकबा 0.16 हैक्टेयर दर्ज है। अतः खसरा नम्बर के रकबे में नफावत है। ग्राम देवनगर कि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2065–84 के खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 2539 रकबा 0.13 हैक्ट, 2578 रकबा 0.18 हैक्ट., 2584/3419 रकबा 0.03 हैक्ट., 2585/3420 रकबा 0.03 हैक्ट, 2594/2720 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर पर अन्य सहखातेदारों के साथ कोमल पत्नि किशनसिंह हि. 1/9 जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी प्रकार हाल सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 560 के खसरा संख्या 2539 रकबा 0.13 हैक्ट. तथा खाता संख्या 792 के खसरा संख्या 2578 रकबा 0.18 हैक्ट, 2584/3419 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा संख्या 2585/3420 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा संख्या 2594/2720 रकबा 0.16 हैक्ट पर अन्य सहखातेदारों के साथ कोमल पत्नि किशनसिंह हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 02.12.2004 का अमल वर्किंग जमाबन्दी के बाद बनी मिसल बन्दोबस्त संवत् 2065–84 में नहीं हुआ है।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला [अजमेर स्थित] आराजी कृषि भूमि के सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता संख्या 792 कुल [किता 04 कुल] रकबा 0.4000 हैक्टयर तथा खाता संख्या 560 कुल किता 01 रकबा 0.1300 है[क्टयर] में संयुक्त खातेदार कोमल पत्नी किशन सिंह हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. [देह के स्था]न पर रमा तोषनीवाल पत्नी अशोक तोषनीवाल हिस्सा 1/9 जाति महाजन का अंकन कर दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता संख्या 792 कुल किता 04 कुल रकबा 0.4000 हैक्टयर तथा खाता संख्या 560 कुल किता 01 रकबा 0.1300 हैक्टयर में संयुक्त खातेदार कोमल पत्नी किशन सिंह हिस्सा 1/9 जाति रावत सा. देह के स्थान पर रमा तोषनीवाल पत्नी अशोक तोषनीवाल हिस्सा 1/9 जाति महाजन (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत) दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

02.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested